दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

सं.एफ.7(01)2010-11/सी.आर. /डी.डी.ए. /1417

दिनांकः 13.12.2019

परिपत्र

विषय : वर्ष 2019-20 के लिए ऑनलाइन (ऑफलाइन) वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भरने के संबंध में।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में समूह 'क' एवं 'ख' राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में ऑनलाइन वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.) भरना आकलन वर्ष 2015-16 से शुरू किया गया था। वर्ष 2019-20 के लिए ए.पी.ए.आर. दिनांक 01.04.2020 से देय हो जाएगी और निर्धारित अनुसूची के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारी द्वारा स्व-मूल्यांकन उत्तरवर्ती वर्ष की 15 अप्रैल तक प्रस्तुत करना होगा, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा जिसको 30 जून तक रिपोर्ट करना होगा, समीक्षा अधिकारी द्वारा 31 जुलाई तक उसकी समीक्षा की जाएगी तथा स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा 31 अगस्त तक इसे स्वीकार किया जाएगा।

समूह 'ख' के उन अधिकारियों, जिनका मूल वेतनमान (ए.सी.पी. /एम.ए.सी.पी. में नहीं) 4200/- रु. और जिनका ए.पी.ए.आर. में स्व-मूल्यांकन अपेक्षित नहीं है, की सूची गोपनीय रिपोर्ट कक्ष को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें वर्ष 2019-20 के लिए वेबसाइट पर ए.पी.ए.आर. फॉर्म अपलोड करने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र में उन सभी अधिकारियों और उनके रिपोर्टिंग/समीक्षा/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता/स्वीकारकर्ता प्राधिकारी के नाम दर्शाए गए हों। इसे गोपनीय रिपोर्ट कक्ष में 16.05.2020 तक भेज दिया जाना चाहिए।

क्र. सं.	यू.आई.डी. संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल ग्रेड वेतन	रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम, यू.आई.डी. संख्या और पदनाम	समीक्षा अधिकारी का नाम, यू.आई.डी. संख्या और पदनाम	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/स्वीकारकर्ता प्राधिकारी का नाम, यू.आई.डी. संख्या और पदनाम

अतः अनुरोध है कि वर्ष 2019-20 के लिए ए.पी.ए.आर. में उचित समय पर स्व-मूल्यांकन लिखने के लिए सभी समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित अधिकारियों को अपना यू.आई.डी. और पासवर्ड प्रयोग करने और इसे संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए उचित निदेश जारी किए जाने चाहिए।

Scanned by CamScanner

पुनः अनुरोध किया जाता है कि 2019-20 की अवधि (01.04.2019 से 31.03.2020) के दौरान समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने तीन महीनों से अधिक की अवधि के लिए उनके जोन/विंग/विभाग में काम किया है, के ख़ाली ए.पी.ए.आर. फार्म दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् www.dda.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रणाधीन अधिकारियों और/उचित अनुपालन के लिए उक्त अनुदेशों का व्यापक परिचालन सुनिश्चित करें। कृपया नोट कर लें कि यदि उक्त सूचना प्रस्तुत करने में कोई विलंब होगा, तो निर्धारित समय-सीमा में ए.पी.ए.आर. पूरा करने में भी विलंब होगा। इसलिए ऊपर तालिका में दी गई सूचना समय पर भेजी जाए।

(तेजपाल सिंह)
उप निदेशक (गोपनीय रिपोर्ट)

सभी शाखाधिकारी, दि.वि.प्रा.

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ।
2. निदेशक (कार्मिक)-। एवं ।। को सूचनार्थ।

Scanned by CamScanner